

Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम :-जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोटे मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 मे 42 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (UDRP) Additional Funding के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोटे मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 पर 42 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण के कार्य की स्वीकृति एच0पी0सी0 के लिखित ब्योरा दिनांक 23.08.2017 के आधार पर एच0पी0सी0 के पत्रांक 122/पी0एम0यू0/2017 यू0ई0ए0पी0 देहरादून दिनांक 31.08.2017 के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार सेतु के स्वीकृत स्थल के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र खनन, फल पट्टी भू-भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। उक्त मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा पूर्व निर्मित पुराना मार्ग है जिस पर 28.00 मीटर विस्तार का बैली ब्रिज स्थित है। इस मार्ग याता यात अत्यधिक तथा कई वर्ष पुराना पुल होने के कारण तथा संकरे होने से स्थानिय काश्तकारों एवं मार्ग पर चलने वाले बड़े तथा भारी लोडेड वाहनो को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थिति के आधार एच0पी0सी0 के लिखित ब्योरा दिनांक 23.08.2017 के तहत 60 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग पर उक्त श्रेणी का सेतु बन जाने से ग्राम गलानी, झारगौव तल्ला, कालाआगर, गरगडी मल्ली, चमोली, खन्सयू, डल कन्या एवं गरगडी तल्ली के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गाँवो तथा समस्त क्षेत्रीय गाँव प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह सेतु मोटर मार्ग खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्सयू - पतलोटे मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्सयू रा0मा0 सं0 64 पर 42 मी0 स्पान "क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु ग्राम कालाआगर, गरगडी नामक स्थान पर निर्मित किया जाना है।

इस सेतु के निर्माण हेतु 2 स्थलो पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में अलग-अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति स्थल को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

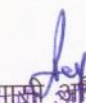
स्थल नं0-1 यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी 85 मे प्रस्तावित किया गया है। इसमें तकनीकी दृष्टीगत उपयुक्त नही होने के साथ सेतु निर्माण करने में मानको के अनुसार सही न मिलने तथा इस स्थल से ग्रामवासी भी सहमत नही है।

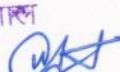
स्थल नं0-2 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह सेतु पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी 85 मे प्रस्तावित किया गया है। जिसे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार स्थल में सिविल सोयम भूमि आती है। इस स्थल के अन्तर्गत वृक्ष नही आते है। मानकों के अनुसार सही है, इस स्थल से सभी ग्रामवासी सहमत है।

उपरोक्त दोनों स्थलों का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा स्थल नं0-1 को सेतु निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति सेतु स्थल नं0-(1) के अन्तर्गत सेतु के निर्माण में कमशः दो एबटमेंट (Abutment) 12X10 एवं 10X8 मीटर के लिए सिविल सोयम भूमि प्रभावित होती है।

अतः सेतु के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (सिविल सोयम) कमशः दो एबटमेंट (Abutment) 12X10 एवं 10X8 मीटर में प्रभावित होने वाली 0.020 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल


अधिसारी अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल


अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
भवाली (नैनीताल)